अपने वाणिज्यिक अनुमानों के अनुसार निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और इसलिए देश के विभिन्न भागों में निवेश में भिन्नता आ सकती है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों / जिलों / राज्यों विकास सहित औद्योगिक विकास मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और केन्द्र सरकार इनके प्रयासों में मदद करती है । औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य/संघ शासित क्षेत्र आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूचित में विनिर्दिष्ट किए गए है । इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों एक सूची संलग्र विवरण में दी गयी है । (**नीचे देखिये**)

आयकर अधिनियम की धारा 80 आई ए के अधीन प्रावधान मेम औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित एककों के लिए पांच वर्ष के कर अवकाश और अन्य पांच वर्षो के लिए 25 % (कंपनियों के मामले में 30 %) कटौती के रूप में दोहरे राजकोषीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है । यह लाभ 1.4.95 से देश के शेष भाग में श्रेणी "क" के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलो को उपलब्ध कराया गया था । श्रेणी "ख" क औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए कर अवकाश तीन वर्ष तक प्रतिबंधित है तथा और पांच वर्ष तक 25% (कंपनियों के मामले में 30 %) कटौती की व्यवस्था है ।

उद्योगों के स्थापना संबंधी फैलाव के जरिए संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार ने समय- समय पर विभिन्न प्रोत्साहन/ रियायतें उपलब्ध करायी है जिनमेम से विकास केंद्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना और एकीकृत अवसंरचना विकास (आई आई डी) महत्वपूर्ण है ।

**विवरण**

आयकर अधिनियम [धार 80-आई ए (2) (iv) (बी) ] की आठवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्योम और संघ शासित क्षेत्रों की सूची

।

1. अरूणाचल प्रदेश
2. असम
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू और कश्मीर
6. मणिपुर
7. मेघालय
8. मिजोरम
9. नागालैंड
10. सिक्किम
11. त्रिपुरा
12. अंडमान और निकोबार आइसलैंड
13. दाअर और नगर हवेली
14. दमन और दीव
15. लक्ष्यद्वीप
16. पांडिचेरी

**Comprehensive reforms in PSUs**

1304. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of the steps taken by Government for comprehensive reforms of PSUs including restructuring, rehabilitation and disinvestment; and

(b) how far these measures would improve the performance of the PSUs?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHAT): (a) and (b) Steps taken by the Government for improving performance of public enterprises are company specific. Such steps are taken after identifying the respective requirements of the PSUs. Some of common steps taken are financial/capital restructuring, setting up joint ventures for upgradation of technology or for new markets or financial assistance, modification of plants and machineries, rationalisation of the manpower, merging/demerging of units etc. Reforms, restructuring and performance improvements are continuous process. Result accuring out of such measures are expected over a period of time.

**Grants under PMRY to Gujrar**

1305. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of district-wise grants allocated to Gujarat under Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY);